



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 19.01.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोरो को चोरी की मोटरसाइकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 19.01.2025 को वादी श्री मौ० आसिफ पुत्र श्री सफीक अहमद निवासी मौहल्ला सदर बाजार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 18.01.2025 को वादी की सुपर स्प्लेण्डर मोटरसाइकिल (UP20N-2330) को सिरधनी रोड स्थित जीनत कालोनी में घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल को अमन पुत्र नाजिम व उसका एक साथी लेकर चला गया है । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु०अ०सं० 44/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के नामित अभियुक्त 1- अमन पुत्र नाजिम निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये अभियुक्त 2- मौ० अमन पुत्र मौ० राशिद निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को चोरी की मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर (UP20N-2330) सहित गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमन पुत्र नाजिम निवासी मौ० मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

मौ० अमन पुत्र मौ० राशिद निवासी ग्राम फरीदपुर उद्दा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेण्डर (UP20N-2330)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ०नि० अंकुर पाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

2- मुख्य आरक्षी आदेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

3- आरक्षी संदीप कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

4- आरक्षी गौरव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 19.01.2025

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 07/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट मे वांछित 02 अभियुक्तो को आलाकत्ल चाकू व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 15.01.2025 को वादी श्री मोनित कुमार पुत्र दाताराम निवासी ग्राम इस्लामपुर शाहू थाना किरतपुर बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि छितावर बस स्टैन्ड के पास उसके गांव के ही रहने वाले सौरभ व अंकित का वादी के भाई सोनित के साथ अन्डे की ठेली पर अन्डे खाने के दौरान किसी बात को लेकर कहा-



सुनी व गाली गलौच हो गई, इसी दौरान अंकित व सौरभ ने वादी के भाई सोनित पर चाकू से हमला कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 07/2025 धारा 103(1)/3(5)/352 बीएनएस व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपीगण 1.अंकित व 2. सौरभ उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी गयी व धारा 352 बीएनएस का विलोप किया गया तथा अभियुक्त 1.शिवम पुत्र ब्रहमपाल 2.विशान्त उर्फ बजरंगी पुत्र सोनू निवासीगण ग्राम आलमपुर गंगा उर्फ गंगावाला थाना किरतपुर बिजनौर के नाम प्रकाश में आये।

कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 19.01.2025 को थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 07/2025 धारा 103(1)/3(5) बीएनएस व धारा 3(2)v एससी/एसटी एक्ट मे वांछित अभियुक्तगण 1.शिवम पुत्र ब्रहमपाल 2.विशान्त उर्फ बजरंगी उपरोक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्तगण की निशांदेही पर आलाकत्ल चाकू व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल डिस्कवर UP20AM-5711 को बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 4/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।



पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्तगण शिवम व विशान्त उर्फ बजरंगी उपरोक्त शराब के नशे में अपनी डिस्कवर मोटरसाइकिल UP20AM-5711 से अन्डे खाने के लिए छितावर बस अड्डे पर अन्डे की ठेली पर गए जहां पर सोनित (मृतक), अंकित व सौरभ पहले से ही मौजूद थे। इसी दौरान सोनित (मृतक) का अन्डे के ठेले वाले से गाली-गलौच हो गया तथा उसने ठेले का सामान नीचे फेंक दिया, ऐसा देखकर अभियुक्त शिवम द्वारा सोनित को टोका गया तो सोनित दोनों अभियुक्तों के साथ गाली-गलौच करने लगा तभी अभियुक्त शिवम ने धारदार चाकू से सोनित पर हमला कर अपने साथी अभियुक्त विशान्त के साथ डिस्कवर मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से भाग गया। इसके बाद अभियुक्तगण ने चाकू व मोटरसाइकिल को जंगल ग्राम बाकरपुर में एक ट्यूबवैल के पास छिपा दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. शिवम पुत्र ब्रह्मपाल निवासी ग्राम आलमपुर गंगा उर्फ गंगावाला थाना किरतपुर बिजनौर।
2. विशान्त उर्फ बजरंगी पुत्र सोनू निवासी ग्राम आलमपुर गंगा उर्फ गंगावाला थाना किरतपुर बिजनौर।

बरामदगी विवरण-

1. एक आला कत्ल चाकू
2. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल डिस्कवर रजि० नं० UP20AM-5711

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. निरी० श्री राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
2. व०उ०नि श्री योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
3. उ०नि० श्री ललित कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
4. का० 202 सचिन कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
5. का० 1947 सोनू सहगल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट:- थाना नहतौर

दिनांक 19-01-2025

थाना नहतौर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नहतौर पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सुहैल पुत्र शकील अहमद निवासी मौ० पीर शहीदकाला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नहतौर पर मु०अ०सं० 13/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

सुहैल पुत्र शकील अहमद निवासी मौ० पीर शहीदकाला कस्बा व थाना नहतौर जनपद बिजनौर (हिस्ट्रीशीट संख्या – 62ए)



बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

- 1.मु०अ०सं० 375/2013 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 2.मु०अ०सं० 485/2013 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 3.मु०अ०सं० 128/2014 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 4.मु०अ०सं० 324/2014 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 5.मु०अ०सं० 181/2015 धारा 457/380/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 6.मु०अ०सं० 250/2015 धारा 308/323/504 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 7.मु०अ०सं० 319/2015 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 8.मु०अ०सं० 521/2015 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 9.मु०अ०सं० 417/2016 धारा 60/62 आबकारी अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 10.मु०अ०सं० 02/2018 धारा 379/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 11.मु०अ०सं० 402/2019 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 12.मु०अ०सं० 46/2020 धारा 457/380/411 भादवि थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 13.मु०अ०सं० 148/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
- 14.मु०अ०सं० 13/2025 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ०नि० अशोक मलिक थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
2. मुख्य आरक्षी शरद पंवार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी नवीन कुमार थाना नहतौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना हल्दौर

दिनांक 19-01-2025

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हल्दौर पुलिस द्वारा अभियुक्त परवेन्द्र पुत्र सुबे सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 20/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

परवेन्द्र पुत्र सुबे सिंह निवासी ग्राम लाडनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध तमंचा 12 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 मनीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
2. उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
3. हे0का0 सोनू कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
4. का0 मौ0 तालिम थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
5. का0 संदीप सांगवान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।
6. का0 निर्दोष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 19.01.2025

**थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 15/2025 धारा 137(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.01.2025 को वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्त अमित कुमार पुत्र हेतराम निवासी लुखराडा थाना बाबूगढ जनपद हापुड वादिया की पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया । तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 15/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 16.01.2025 को उक्त अपहृता को बरामद किया गया तथा अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में अभियोग में धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई ।



कार्यवाही विवरण-

आज दिनांक 19.01.2025 को थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 15/2025 धारा 137(2) बीएनएस व धारा 7/8 पॉक्सो में वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र हेतराम लुखराडा थाना बाबूगढ जनपद हापुड को गिरफ्तार किया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अमित कुमार पुत्र हेतराम निवासी लुखराडा थाना बाबूगढ जनपद हापुड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 2465 विपिन कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक 19-01-2025

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त रहीश उर्फ टोंटी पुत्र अ0 रशीद शाहपुरिया निवासी ग्राम कासमपुरगढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 27/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

रहीश उर्फ टोंटी पुत्र अ0 रशीद शाहपुरिया निवासी ग्राम कासमपुरगढी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू नाजायज ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त -

मु0अ0सं0 200/22 धारा 307 भादवि थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

मु0अ0सं0 27/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- उ0नि0 शिवम तायल अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी प्रशान्त कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 3- मुख्य आरक्षी रवि मलिक थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना नगीना देहात

दिनांक 19-01-2025

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन तथा अपने साथ अवैध शस्त्रों को रखने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त कफील पुत्र छुट्टन निवासी चौहडपुर नानू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 15/25 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

कफील पुत्र छुट्टन निवासी चौहडपुर नानू थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण:-

01 अवैध चाकू नाजायज ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1- मुख्य आरक्षी रविन्द्र कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2- आरक्षी आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नूरपुर

दिनांक – 19.01.2025

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा लूट/चोरी की योजना बना रहे पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 18.01.2025 की रात्रि में थाना नूरपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा नूरपुर स्थित राधा कृष्ण कॉलोनी में एक खन्डहर मकान में कुछ बदमाश अवैध असलहे के साथ इकट्ठा होकर रात्रि में लूट की घटना कारित करने की फिराक में है । सूचना पर थाना नूरपुर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया, जिस दौरान एक गोली आरक्षी बोबी की बांयी बाजू में लगी । पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 01 अभियुक्त के बाये पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया तथा 01 अन्य अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया तथा इनके 02 अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया ।



घायल अभियुक्त ने अपना नाम शमीन पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा दूसरे अभियुक्त ने अपना नाम नासिर पुत्र पीरू नि0 ग्राम शेखसोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया तथा फरार साथियों के नाम नसीम उर्फ सोनू पुत्र इतवारी निवासी ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर व इकबाल पुत्र इतवारी नि0 ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर बताया । पुलिस द्वारा घायल पुलिसकर्मी व घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल बिजनौर में भर्ती कराया गया तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जंगल में कांभिंग की जा रही है ।

अभियुक्त शमीन उपरोक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व अभियुक्त नासीर के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद किया गया । इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 20/2025 धारा 3(5)/312/313/109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

पुछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण शमीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि वह नासिर व अपने फरार हुए दोनो साथी नसीम उर्फ सोनू व इकबाल के साथ मिलकर किसी घर में लूटपाट करने की फिराक में थे तथा लूटपाट में जो भी रूपए मिलते उसे सभी आपस में बांट लेते ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1.शमीन पुत्र अमीरुद्दीन नि0 ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
- 2.नासिर पुत्र पीरू नि0 ग्राम शेखसोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

फरार अभियुक्त का नाम व पता –

1. नसीम उर्फ सोनू पुत्र इतवारी निवासी ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. इकबाल पुत्र इतवारी नि0 ग्राम शेख सोलान थाना नूरपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास शामीन उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 20/2025 धारा 3(5)/312/313/109(1) बीएनएस व 3/4/25/27 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर

आपराधिक इतिहास नासिर उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 20/2017 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0 103/2019 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 258/2024 धारा 392 भादवि थाना धामपुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0 20/2025 धारा 3(5)/312/313/109(1) बीएनएस व धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना नूरपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री सुशील पंवार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
5. का0 2573 हरिओम थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
6. का0 2049 बोबी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
7. का0 1886 अमित कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
8. का0 1649 अमित भाटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
9. का0 1956 आर्यन थाना नूरपुर जनपद बिजनौर
10. का0 11 गौरव थाना नूरपुर जनपद बिजनौर